www.chronicleindia.in

facebook/civilserviceschronicle

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

जुलाई 2022
❑ वर्ष 31 ❑ अंक 11

इस अंक में

मुख्य परीक्षा विशेष-1

109 90 जीएस टॉपिक

समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

राज्य परीक्षा विशेष — 166
यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 विशेष
उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख नीतियां

राज्य परीक्षा विशेष — 171
बीपीएससी प्रा. परीक्षा विशेष
बिहार विशेष : कला एवं संस्कृति

सामयिक आलेख

06 वैश्विक आपूर्ति शृंखला की वहनीयता : नवीन चुनौतियां एवं समाधान
09 वन हेल्थ मॉडल : उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने का संधारणीय दृष्टिकोण
12 क्लाइमेट फाइनेंस : जलवायु शमन एवं अनुकूलन में इसकी भूमिका
14 असंगठित क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण : सामाजिक सुरक्षा हेतु संरचनात्मक हस्तक्षेप आवश्यक
17 भारत-नेपाल संबंध : मौजूदा चुनौतियां एवं सहयोग के क्षेत्र

विषय विमर्श

20 भावनात्मक बुद्धिमत्ता : नैतिक और समावेशी शासन का प्रेरक

नीति विश्लेषण

23 पीएम गति शक्ति योजना : अवसंरचनात्मक विकास में भूमिका एवं महत्व

इन फोकस

26 भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण : आवश्यकता एवं चुनौतियां
28 एलजीबीटीआईक्यू+ समुदाय के अधिकार : कानूनी स्थिति एवं चुनौतियां
29 मुद्रास्फीति में वृद्धि : कारण, प्रभाव तथा नीतिगत उपाय
31 चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल : शीत युद्ध के पुनरागमन की आहट
33 मेथनॉल अर्थव्यवस्था : संबंधित मुद्दे एवं लाभ
34 हरित खाद : मृदा उर्वरता एवं फसल उत्पादन में सुधार हेतु एक दृष्टिकोण

निबंध

177 क्या हम सभ्यता के पतन की राह पर हैं?

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय 36-47

36 पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991
37 प्रशासनिक अधिकारी के इस्तीफे और बहाली संबंधी नियम
38 भारत में पुलिस सुधार
39 पूर्ण न्याय प्रदान करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति
40 मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण
41 राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक
41 नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के परिसर का उद्घाटन
42 अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन
42 जम्मू एवं कश्मीर का नया परिसीमन लागू
43 जीएसटी पर कानून निर्माण की केंद्र एवं राज्य की शक्तियां
44 देश के 50 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पहुंचा हर घर जल
45 विश्व की सबसे बड़ी फिल्म संरक्षण परियोजना
45 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, 2021
46 स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ
46 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद
47 वॉरगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर

सामाजिक परिदृश्य 48-53

48 वैवाहिक बलात्कार पर न्यायालय का विभाजित निर्णय
49 सरोगेसी अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती
49 सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी
50 सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता
50 विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र
51 वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट : आईएलओ
52 एनएफएचएस-5 के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट

52 भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट
53 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस-2022

विरासत एवं संस्कृति 54-58

54 राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती
55 गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर
56 जगद्गुरु बसवेश्वर
56 राखीगढ़ी
57 तमिलनाडु में लौह युग के साक्ष्य
57 मार्तंड सूर्य मंदिर
58 कान्हेरी गुफा
58 डेनिसोवन

आर्थिक परिदृश्य 59-67

59 सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (GAAR)
60 राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक
60 डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क
61 मुद्रा एवं वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट
61 स्टैगफ्लेशन
62 रेलवे का पुनर्गठन
62 क्रिप्टोकरेंसी से अर्थव्यवस्था का डॉलराइजेशन
63 राइस फोर्टिफिकेशन
64 फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट
64 विशेष आहरण अधिकार
65 न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय
65 विदेशी मुद्रा भंडार
66 भारतीय रुपये में गिरावट
66 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि
67 अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0
67 एआईएम-प्राइम प्लेबुक

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 68-76

68 प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा
70 भारत-जापान संबंध: सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग
71 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2022
71 इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा
72 भारत-कनाडा संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति
73 जापान में क्वाड समूह की बैठक
74 नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र पर आर्मीनिया एवं अजरबैजान के मध्य विवाद
74 इजराइल तथा वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स
75 एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना
75 चीन-ताइवान विवाद
76 भारत द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार का आह्वान
76 जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स देशों की बैठक

पर्यावरण एवं जैव विविधता 77-86

77 आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
78 यूएनसीसीडी कॉप-15 का आयोजन
78 कोयला बिजली संयंत्र : अनुपालन की समय सीमा बढ़ाने की मांग
79 स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स 2022 रिपोर्ट
79 ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट
80 इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन ड्राफ्ट पर अधिसूचना
81 नवीकरणीय ऊर्जा हेतु संयुक्त राष्ट्र की पांच सूत्री योजना
82 जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 में संशोधन
82 नगरीय ऊष्मा द्वीप : कारण एवं प्रभाव
83 रामगढ़ विषधारी अभयारण्य : भारत का 52वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित
84 सतही एवं गहन पारिस्थितिकीवाद
85 अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में गैस प्लांट को मंजूरी
85 भारत टैप पहल तथा निर्मल जल प्रयास पहल
86 चक्रवाती तूफान 'असानी' और 'करीम'

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 87-96

87 भारत का पहला 5G टेस्टबेड
88 परम पोरुल सुपरकंप्यूटर
88 आरएफआईडी प्रौद्योगिकी
89 मंगल ग्रह की सतह पर भूकंप
90 सैजिटेरीअस ए*
91 इसरो का शुक्र मिशन
91 गगनयान मिशन के लिये एचएस 200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर
92 डब्ल्यू बोसॉन का द्रव्यमान
93 मंकीपॉक्स
93 ह्यूमन सेल एटलस
94 सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट (GReAT)
94 नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल
95 रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस
95 फंगल अर्क से बनी जैव सामग्री घावों को भरने में सहायक

राज्यनामा.....97-100

लघु संचिका 101-105

खेल परिदृश्य.....106-108

संपादक: एन.एन. ओझा
सहायक संपादक: सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष: संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष: कीर्ति नंदिता
सहायक महाप्रबंधक: पंकज पांडेय
संपादकीय: 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन: 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता: 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार: 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल: 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय: क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की वहनीयता
नवीन चुनौतियां एवं समाधान

• संपादकीय डेस्क

21वीं सदी में लगातार वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। इंटरनेट तथा नवीन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विश्व के लगभग सभी देश पहले की तुलना में एक दूसरे पर अधिक निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्त्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि इनके माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात-निर्यात को अपेक्षाकृत अधिक कुशलता के साथ उद्गम स्थल से गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। किंतु, समय के साथ अनेक ऐसी चुनौतियां भी उभर कर सामने आई है जो इन आपूर्ति श्रृंखलाओं की क्रियापद्धति में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं। इस प्रकार के व्यवधानों से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित होती है। जिसके स्पष्ट परिणाम कीमतों में वृद्धि तथा आर्थिक विकास में कमी के रूप में दिखाई देते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बार-बार आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक एवं स्थाई उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है।

हाल ही में रूस-यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई। वस्तुओं एवं सेवाओं की कमी के कारण कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी गई। इससे पूर्व कोविड-19 महामारी तथा अमेरिका एवं चीन के मध्य आर्थिक तनाव ने भी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया था। दीर्घकालिक रूप में यह सभी समस्याएं वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करके सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति को बढ़ावा दे सकती हैं।

- एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादन एवं उपभोग की उस संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है, जिसमें कोई वस्तु अथवा सेवा, उद्गम स्थल से विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाधाओं को पार करते हुए उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम-कानून तथा विभिन्न देशों की घरेलू नीतियों का भी अध्ययन शामिल है।
- संकल्पनात्मक रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chain) से भिन्न होती है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उन चरणों को शामिल किया जाता है जिनसे किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत वस्तु अथवा सेवा की डिजाइन, विपणन तथा उसकी बिक्री के चरण शामिल किए जाते हैं। उपर्युक्त दोनों संकल्पनाएं एक दूसरे से अंतर्संबंधित हैं तथा इनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय उत्पादन एवं व्यापार के मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से संपूर्ण विश्व में उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रिया तथा कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में, आपूर्ति श्रृंखला के मार्ग में आने वाली चुनौतियों तथा उनके समाधान का विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

आपूर्ति श्रृंखला संकट तथा आपूर्ति श्रृंखला वहनीयता

- **आपूर्ति श्रृंखला संकट (Supply Chain Crisis):** वर्तमान में लगभग सभी देश अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए भारत से अमेरिका तथा यूरोपीय देशों को कुशल कार्य बल तथा खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है। वहीं दूसरी तरफ, भारत खनिज तेल, खाद्य तेल, यूरेनियम तथा अन्य खनिज संसाधनों हेतु मध्य एशिया एवं विश्व के अन्य देशों का निर्भर है। किसी भी प्रकार के त्वरित अथवा दीर्घकालिक संकट के कारण उपर्युक्त निर्भरता वाली वस्तुओं के आयात-निर्यात में आने वाली बाधा आपूर्ति श्रृंखला संकट के रूप में जानी जाती है।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को व्यापक हद तक नियंत्रित किया था। किंतु, वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा, कोविड-19 महामारी तथा रूस-यूक्रेन संकट जैसी चुनौतियों के कारण लोगों के आवागमन एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात निर्यात में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं।

- **आपूर्ति श्रृंखला वहनीयता (Supply Chain Resilience):** आपूर्ति श्रृंखला वहनीयता का अर्थ वैश्विक स्तर पर ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना है जिससे देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बाधित न हो तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की बाधारहित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
  - राष्ट्रीय अथवा व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी देश आपूर्ति श्रृंखला वहनीयता को बनाए रखने के लिए अपनी आवश्यकता हेतु किसी एक अथवा कुछ निश्चित देशों पर निर्भर नहीं रहता है। बल्कि उसका प्रयास रहता है कि उसकी आवश्यकतानुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति अलग-अलग देशों द्वारा की जाए।

वन हेल्थ मॉडल

उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने का संधारणीय दृष्टिकोण

• संपादकीय डेस्क

मानव, वन्यजीव तथा पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित करने हेतु वन हेल्थ दृष्टिकोण (One Health Approach) महत्वपूर्ण है। वन हेल्थ दृष्टिकोण स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाला एक सहयोगी, बहु-क्षेत्रीय और बहुविषयक दृष्टिकोण है, जिसका लक्ष्य लोगों, जंतुओं, वनस्पतियों और उनके साझा वातावरण के बीच अंतर्संबंध को पहचानते हुए इष्टतम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करना है।

जनवरी 2022 में खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के सहयोग से अज्ञात उभरते जूनोटिक रोगों (Unknown emerging zoonotic diseases) से जोखिम को कम करने हेतु बेहतर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया।

- जूनोटिक (Zoonotic) यानी जंतुओं से मानव में फैलने वाले रोगों का बार-बार उभार कोई नई बात नहीं है। पिछले तीन दशकों में जंतुओं के अलग-अलग समूहों से मनुष्यों को संक्रमित करने वाले इन रोगों में वृद्धि हुई है। कोविड-19 भी एक जूनोटिक रोग है।
- कोविड-19 संकट ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जोखिम को कम करने हेतु भविष्य में उत्पन्न होने वाली महामारियों के लिए बेहतर रूप से तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। भविष्य में महामारियों को रोकना या अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तथा बदलते जोखिम कारकों की पहचान के लिए विकसित किये गए तंत्र पर निर्भर करता है।

वन हेल्थ दृष्टिकोण

वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच परस्पर समन्वय पर जोर देता है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों तथा उनके परिवेश के बीच संपर्क से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की समझ विकसित करना और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य के माध्यम से संक्रमण की रोकथाम करना है। कोविड-19 सहित सभी पशुजन्य रोगों (Zoonotic Diseases) और अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण में वन हेल्थ दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

- यद्यपि वन हेल्थ शब्द काफी नया है, लेकिन इस अवधारणा को लंबे समय से राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 1800 ईस्वी की शुरुआत से ही वैज्ञानिकों ने जंतुओं और मनुष्यों के बीच रोग प्रक्रियाओं में समानता का उल्लेख किया है, परन्तु 20वीं शताब्दी तक मानव एवं पशु स्वास्थ्य उपचार को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था।
- हाल के वर्षों में विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के माध्यम से, वन हेल्थ दृष्टिकोण ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य समुदायों में अत्यधिक मान्यता प्राप्त की है। वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी (Wildlife Conservation Society) ने वर्ष 2007 में 12 सिफारिशों (मैनहट्टन प्रिंसिपल्स) के साथ 'वन वर्ल्ड-वन हेल्थ' (One World-One Health) शब्द पेश किया था, जो महामारी जैसी बीमारियों को रोकने तथा पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण स्थापित करने पर केंद्रित था।
- वन हेल्थ दृष्टिकोण ने 'जूनोटिक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों' (Zoonotic Public Health Emergencies) जैसे कि, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम (Middle East respiratory syndrome), एच1एन1 (H1N1) इन्फ्लूएंजा, इबोला और जीका के प्रकोप के प्रत्युत्तर में लोकप्रियता हासिल की।
- जंतुओं और उनके वातावरण के साथ मानव का निकट संपर्क जंतुओं और लोगों के मध्य बीमारियों को प्रसारित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। अधिकांश स्वास्थ्य जोखिम आकलन जंतुओं से मनुष्यों में रोगजनकों के संचरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि जंतुओं का स्वास्थ्य भी मनुष्यों से होने वाली बीमारियों से बहुत प्रभावित होता है।
- SARS-CoV-2, तपेदिक एवं विभिन्न इन्फ्लूएंजा वायरस जैसी अन्य बीमारियां जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घातक साबित हो सकती हैं। अत: पशु चिकित्सा सेवाओं, वन्यजीव अधिकारियों व शोधकर्ताओं द्वारा इन प्रजातियों की उचित तरीके से देखभाल की जानी चाहिए।
- इन प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों का प्रबंधन, अकेले संभव नहीं है; इसके लिए जंतुओं, मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्षेत्रों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। वन हेल्थ एक क्रॉस-कटिंग एप्रोच (Cross-cutting Approach) है, जो कार्यक्रमों, नीतियों, कानूनों और अनुसंधान को बढ़ावा देता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

क्लाइमेट फाइनेंस

जलवायु शमन एवं अनुकूलन में इसकी भूमिका

• संपादकीय डेस्क

जलवायु वित्तीयन यानी क्लाइमेट फाइनेंस पिछले एक से अधिक दशक से विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य मतभेद का विषय रहा है। वर्तमान में विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्यों को लागू करने हेतु निवेश के लिए धन की कमी है। ऐसे में क्लाइमेट फाइनेंस पवन या सौर जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में वित्तपोषण को बढ़ावा देकर विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता कर सकता है। यह समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने में भी मदद कर सकता है।

वर्ष 2022 में दिल्ली में 1951 के बाद से अप्रैल माह में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई, जिसका मासिक औसत तापमान लगभग 40.2 डिग्री सेल्सियस था। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी समय पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अचानक आई बाढ़ ने लोगों की जान ली और हजारों लोग विस्थापित हुए।

* देश भर में बढ़ती चरम जलवायु परिघटनाओं के विनाशकारी प्रभाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारत में बढ़ती जलवायु परिघटनाओं के विनाशकारी प्रभाव को कम करने हेतु जलवायु वित्तीयन (Climate Finance) में वृद्धि करना समय की मांग है।
* जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल (IPCC) का अनुमान है कि वर्ष 2035 तक केवल ऊर्जा क्षेत्र में 2.4 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी, तभी तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जा सकता है।

क्लाइमेट फाइनेंस तथा इसके स्रोत

जलवायु वित्तीयन, सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्तपोषण को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग स्थानीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने हेतु शमन और अनुकूलन कार्यों व प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। जलवायु वित्तीयन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तथा जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण कमी का समर्थन करता है।

* **वैश्विक पर्यावरण सुविधा:** 1992 के रियो अर्थ समिट (Rio Earth Summit) में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global environmental facility) की स्थापना की गई थी। इसने वर्तमान तक लगभग 21.7 बिलियन डॉलर का अनुदान प्रदान किया है।
* **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष:** विशेष जलवायु परिवर्तन कोष को अनुकूलन, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 2001 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के तहत स्थापित किया गया था।
* **अनुकूलन कोष:** अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) की स्थापना 2001 में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के तहत की गई थी।
* **हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund):** यह जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों के प्रयासों का समर्थन करने हेतु यूएनएफसीसीसी द्वारा बनाया गया एक नया वैश्विक फंड है।
* **जलवायु निवेश कोष (Climate Investment Fund):** यह एक मल्टी-डोनर ट्रस्ट फंड है, जो विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा पहुंच तथा जलवायु लचीलापन अपनाकर जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने का प्रयास करता है।
* **कोपेनहेगन समझौता:** वर्ष 2009 में COP15 में किए गए इस समझौते में विकसित देशों द्वारा 2010 और 2012 के मध्य विकासशील देशों को जलवायु शमन और अनुकूलन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 30 बिलियन डॉलर तथा 2020 तक प्रति वर्ष 10 बिलियन डॉलर देने का वादा किया गया था।
* विकसित देशो द्वारा COP15 में की गई प्रतिबद्धता को वर्ष 2015 में सम्पन्न हुए पेरिस समझौते में दोहराया गया, जिसमें इस वित्तीय सहायता की समय-सीमा को 2025 के लिए तक बढ़ा दिया गया।

जलवायु वित्तीयन की आवश्यकता

वर्तमान में विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्यों को लागू करने हेतु निवेश के लिए धन की कमी है। जलवायु वित्त, पवन या सौर जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में वित्तपोषण को बढ़ावा देकर विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता कर सकता है।

* वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सिर्फ 1% उत्पादन करने के बावजूद, छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (Small island developing states) में रहने वाले लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
* लगभग 65 मिलियन की आबादी के साथ, छोटे द्वीपीय विकासशील देश जलवायु आपातकाल की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, जो लगातार अधिक एवं तीव्र चरम मौसम की घटनाओं, बढ़ते तापमान एवं समुद्र के स्तर में वृद्धि का खामियाजा भुगत रहे हैं। जिससे सभी लोगों की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। इन देशों में जलवायु अनुकूलन और शमन परियोजनाओं में निवेश करने हेतु जलवायु वित्त की अधिक आवश्यकता है।

असंगठित क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

सामाजिक सुरक्षा हेतु संरचनात्मक हस्तक्षेप आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

असंगठित क्षेत्र में सुधार समय की मांग है। इस क्षेत्र में बेरोजगारी के बढ़ते स्तर के साथ, श्रमिकों को पुनः नियोजित करना आवश्यक है। सरकार को इस क्षेत्र को संगठित रूप देने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रोजगार के उचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत अनौपचारिक क्षेत्र के 27.69 करोड़ श्रमिकों में से 94 प्रतिशत से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे कम है। पंजीकृत कार्यबल में 74 प्रतिशत से अधिक श्रमिक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित हैं।

* अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार विश्व की 60 प्रतिशत से अधिक नियोजित आबादी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र (Informal Sector) में संलग्न है, जिनमें से अधिकांश आबादी उभरते एवं विकासशील देशों में विद्यमान हैं।
* असंगठित क्षेत्र में संलग्न लोगों के पास व्यापक पैमाने पर सामाजिक सुरक्षा, कार्य का अधिकार तथा कार्य करने की अच्छी परिस्थितियों का अभाव है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती है, वैसे-वैसे अनौपचारिक क्षेत्र (असंगठित क्षेत्र) का आकार धीरे-धीरे घटता है। वर्तमान में अनौपचारिक क्षेत्र अभी भी निम्न और मध्यम आय वाले देशों की आर्थिक गतिविधियों के लगभग एक तिहाई हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं।
* पिछले दो दशकों के दौरान आर्थिक विकास के उच्च स्तर के बावजूद, भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था गैर-कृषि रोजगार के 80% से अधिक हिस्से के लिए उत्तरदायी है। औपचारिक अर्थव्यवस्था में सीमित रोजगार सृजन होने के कारण लोगों को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में रोजगार की तलाश करनी पड़ती है।

अनौपचारिक क्षेत्र का स्वरूप

अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम प्रधान उद्यम होते हैं। अकुशल मजदूर जो अपनी निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निम्न मजदूरी के लिए भी कार्य करने के लिए उत्साहित होते हैं, बड़े पैमाने पर असंगठित आर्थिक गतिविधियों की श्रम शक्ति का गठन करते हैं।

* चूंकि असंगठित इकाइयां, कॉर्पोरेट कानूनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती हैं, इसलिए उनके कर्मचारियों को न तो नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होती है और न ही सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है।
* अनौपचारिक कार्य की व्यापकता उच्च असमानता के साथ भी जुड़ी हुई है। समान कौशल वाले श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में अपने औपचारिक क्षेत्र के साथियों की तुलना में कम आय प्राप्त करते हैं तथा निम्न कौशल स्तरों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रमिकों के मध्य मजदूरी का अंतर अधिक होता है।
* इसी प्रकार अनौपचारिक कार्य, लैंगिक असमानता से भी जुड़े हुए हैं। निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के न केवल अनौपचारिक रोजगार में होने की संभावना अधिक होती है, बल्कि अनौपचारिक रोजगार की सबसे अनिश्चित और कम-भुगतान वाली श्रेणियों में भी होने की संभावना रहती है।
* विश्व भर में अनौपचारिक गतिविधियों पर COVID-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव ने सरकारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों द्वारा कवर नहीं की गई या कम कवर की गई आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
* हालाँकि, अनौपचारिकता को संबोधित करने के लिए देशों में प्रभावी नीतियों को तैयार करना, इसके कई कारणों एवं रूपों के कारण जटिल है। विभिन्न देशों में अनौपचारिकता की चुनौतियां अलग-अलग हैं और इसका कोई 'वन साइज फिट्स ऑल' (one-size-fits-all) समाधान नहीं है।
* अनौपचारिकता को संबोधित करने के लिए चार प्रकार की नीतियां प्रभावी साबित हुई हैं:
  1. शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना अनौपचारिकता को कम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है।
  2. औपचारिक या बैंक आधारित वित्तीय सेवाओं तक विस्तारित पहुंच को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की नीतियां भी अनौपचारिकता को कम करने में मदद कर सकती हैं।
  3. संरचनात्मक नीतियों की एक श्रृंखला औपचारिकता की लागत को कम करने में मदद कर सकती है।
  4. अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने और औपचारिक रोजगार में अनौपचारिक श्रमिकों के प्रवेश की सुविधा के लिए श्रम बाजार के नियमों को सरल बनाया जाना जाना भी इसका एक समाधान हो सकता है।
* अनौपचारिकता की वृद्धि दर विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। सतत विकास के लिए समय के साथ अनौपचारिकता में कमी करना आवश्यक है। लेकिन यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से धीरे-धीरे होगी, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र वर्तमान में करोड़ों लोगों के लिए एकमात्र व्यवहार्य आय स्रोत है। शिक्षा में निवेश जैसे स्थिर सुधारों और इसके अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने वाली नीतियों द्वारा अनौपचारिकता का बेहतर रूप से समाधान किया जा सकता है।

भारत–नेपाल संबंध
मौजूदा चुनौतियां एवं सहयोग के क्षेत्र

• संपादकीय डेस्क

भारत और नेपाल के बीच संबंध व्यापक और बहुआयामी हैं तथा दोनों देशों ने ऐतिहासिक संबंधों को औपचारिक स्वर प्रदान करने के लिए 17 जून, 1947 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। नेपाल, सीमा पार संपर्क, बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय कनेक्टिविटी जैसी पहलों के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति से लाभ उठाने में सक्षम हुआ है। दोनों देशों का ऐतिहासिक काल से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संपर्क रहा है। नेपाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रति भारत के सकारात्मक रवैये के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच उच्च स्तर का विश्वास पैदा हुआ है। दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग में वृद्धि होने का लाभ अंततः यहां निवास करने वाले लोगों की आर्थिक संवृद्धि के रूप में परिलक्षित होगा।

16 मई, 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में स्थित लुंबिनी की यात्रा की तथा इस अवसर पर उन्होंने भारत और नेपाल के बीच धार्मिक-सांस्कृतिक संपर्क के महत्व को रेखांकित किया।

* नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी 1-3 अप्रैल 2022 के दौरान भारत की यात्रा पर आए थे।
* दोनों प्रधानमंत्रियों की यात्रा ने भारत-नेपाल निवेश संवर्धन, जलविद्युत उत्पादन, सीमा विवाद आदि मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभुता, समानता, मूल्यों तथा एक-दूसरे की महत्वाकांक्षाओं और संवेदनाओं के पारस्परिक सम्मान के कारण द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं।
* नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत-नेपाल संबंधों का बेहतर होना नेपाल में चीनी प्रभाव को कम करेगा।

संबंध सुधार की हाल की पहलें

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियो ने भारत-नेपाल के मध्य विवादित मुद्दों को हल करने के लिए परस्पर वार्ता करने पर जोर दिया।

* दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि गैर-कानूनी गतिविधियों में संलग्न समूहों द्वारा खुली सीमा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
* दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने नेपाल में लागू की जा रही भारतीय परियोजनाओं के विकास पर भी चर्चा की।
* पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन की गति को तेज करने पर सहमत हुए।
* प्रधानमंत्री देउबा ने भारत से सहायता प्राप्त परियोजनाओं, जैसे कावरेपालन चौक में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, नेपालगंज और भैरहवा में एकीकृत चेक पोस्ट और रामायण सर्किट परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की।
* जयनगर (बिहार) और कुर्था के बीच 35 किलोमीटर की सीमा पार ट्रेन लिंक का उद्घाटन मुख्य आकर्षण था। इसे दो और चरणों में बिजलपुरा और बर्दीबास तक बढ़ाया जाएगा।
* रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेपाल के प्रवेश तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए।
* दोनों देश नेपाल में संयुक्त बिजली उत्पादन परियोजनाओं के विकास पर सहयोग के लिए एक विजन स्टेटमेंट पर सहमत हुए।
* नेपाल में 'रुपे भुगतान कार्ड प्रणाली' (RuPay Payment Card System) भी शुरू की गई, जिससे दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क में एक नया आयाम जुड़ेगा।
* वर्तमान में निर्यात की जाने वाली 39 मेगावाट बिजली के अलावा, भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण (Nepal Electricity Authority) को भारत को अतिरिक्त 325 मेगावाट बिजली बेचने में सक्षम बनाया है।

मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (एमसीसी)

- 27 फरवरी, 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (United States Millennium Challenge Corporation-MCC) समझौते का नेपाल द्वारा अनुसमर्थन (ratification) किया गया।
- इस समझौते में 318 किलोमीटर की हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के निर्माण के साथ-साथ पूर्व-पश्चिम मार्ग के 300 किलोमीटर के रखरखाव के लिए 500 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है।
- यह समझौता 2017 में देउबा के प्रधानमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के दौरान हुआ था और इसका अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया जा सका था।

भारत नेपाल संबंधों के प्रमुख स्तंभ

✓ **विकासात्मक सहयोग**

* भारत, नेपाल का मुख्य विकास भागीदार रहा है। अप्रैल और मई 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंपों के बाद, भारत ने तुरंत सहायता की पेशकश की।
* भारत सरकार की आर्थिक सहायता से बड़ी और मध्यम आकार की विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई।

विषय विमर्श

भावनात्मक बुद्धिमत्ता

नैतिक और समावेशी शासन का प्रेरक

❑ डॉ. विवेक कुमार उपाध्याय

भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनाओं के अनुशासन की ऐसी योग्यता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं की तथा सामने वालों की भावनाओं को समझकर उनका प्रबंधन करता है। नैतिक शासन एवं समावेशी शासन दोनों ही विधि के शासन पर आधारित सुशासन से आगे बढ़कर मूल्यों पर आधारित व्यवस्था की स्थापना से संबंधित हैं। इसलिए इनकी स्थापना तथा विकास के लिए ऐसे मानव संसाधन की आवश्यकता है, जो संस्कारों तथा मूल्यों के आधार पर शासन को नया स्वरूप प्रदान कर सकें। इसके लिए उनकी स्वयं पर तथा सामने वालों की भावनाओं पर सटीक पहचान होना जरूरी है।

अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर तथा अन्य की भावनाओं व अनुभूतियों को समझकर विवेकानुसार व सामंजस्यपूर्ण सार्थक प्रबंधन करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाता है। शासन के बदलते प्रारूप में सुशासन, समावेशी शासन तथा नैतिक शासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासकों के अंदर भावनाओं को महसूस करने, उनको समझने, इस्तेमाल करने, प्रबंधित करने तथा उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता की अधिक प्रासंगिकता समझी जा रही है।

शासन की प्रभावशीलता में भावनाओं की भूमिका

पारदर्शिता, जवाबदेही एवं विधि के शासन के माध्यम से सुशासन का आधार तैयार किया जाता है। इन तीनों गुणों को जब नैतिक मूल्यों की नींव पर खड़ा किया जाता है तब ऐसा शासन नैतिक शासन कहलाता है। सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, नि:स्वार्थता, जवाबदेही, नेतृत्व और खुलापन नैतिक शासन के मूल आधार माने जाते हैं। इसी प्रकार समावेशी शासन का तात्पर्य ऐसी शासन पद्धति से है जो शासन में सभी लोगों की भागीदारी और हिस्सेदारी को निर्धारित करे। हाशिए पर स्थित लोगों तथा छोटे समूह वाले लोगों को शासन का भागीदार बनाने के लिए लोक सेवक के अंदर समानुभूति, सहानुभूति, संवेदनशीलता, दया, करुणा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा की भावना को आवश्यक माना गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शासन में नैतिकता के समावेशन के लिए लोकसेवकों के भीतर नैतिक भावनाओं का विकास आवश्यक है।

इन सकारात्मक भावनाओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये व्यक्ति को बिना किसी बाहरी दबाव और भय के स्वत:स्फूर्त रूप से सक्रिय और उत्साहित रखती हैं। वहीं इसके विपरीत नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, घृणा, प्रतिशोध, इर्ष्या, भय, अपराधबोध, दुख, द्वंद्व, लालच इत्यादि व्यक्ति की क्रियाशीलता को नकारात्मक दिशा में मोड़कर उसे नकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में विकसित करती हैं। नकारात्मक व्यक्तित्व शासन को भ्रष्ट बनाते हैं और व्यवस्था के लिए खतरा होते हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता

भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कई बार भावना और बुद्धि के द्वंद्व के रूप में देखा जाता है। अर्थात यह एक के ऊपर दूसरे को वरीयता देने से संबंधित है। जबकि वास्तविकता में **भावना और बुद्धि एक दूसरे के पूरक हैं और भावनात्मक बुद्धिमत्ता दोनों के संयोग के अनुकूलतम उपयोग की योग्यता है।** प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने निबंध संग्रह के लिए कहा है कि, **"यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर..."**। अर्थात भावना तथा बुद्धि का आनुपातिक उपयोग ही ऐतिहासिक निर्माण कराता है।

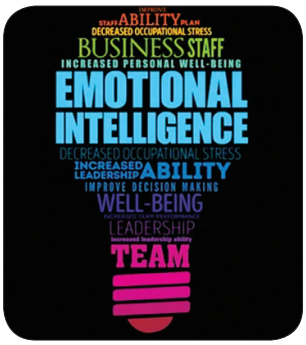

प्रश्न उठता है कि इस अनुपात में किसे वरीयता मिलनी चाहिए? महान दार्शनिक अरस्तू ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही कहा था, "स्वयं को जानना, सभी प्रकार की विवेक जागृति का आरंभ है"। वे आगे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, यह सरल है। लेकिन सही व्यक्ति पर, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए, सही मात्रा में क्रोध करना, यह सभी व्यक्तियों के न तो सामर्थ्य में है न ही सरल है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की यह योग्यता 21 वीं शताब्दी में व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता मानी जा रही है। डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक "इमोशनल इंटेलिजेंस : व्हाइ इट कैन मैटर मोर दैन आई क्यू" (1996) में अनेक उदाहरणों के माध्यम से भावनात्मक बुद्धिमत्ता को वरीय योग्यता सिद्ध किया है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अवयव

भावनात्मक बुद्धिमत्ता सभी भावनाओं तथा अधिकतम ज्ञान के उपयोग से संबंधित है, लेकिन इसे 5 आयामों पर विकसित किया जा सकता है। डेनियल गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के निम्न 5 अवयव बताए हैं-

नीति विश्लेषण

पीएम गति शक्ति योजना

अवसंरचनात्मक विकास में भूमिका एवं महत्व

• डॉ. अमरजीत भार्गव

निर्माण गतिविधियों में संलग्न विभिन्न एजेंसियों के मध्य सहयोग एवं समन्वय की व्यापक कमी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को समयबद्ध रूप में पूरा करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, इससे अंतिम रूप से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होती है। समस्याओं को पहचान कर पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत इन्हें एकीकृत रूप में संबोधित करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन द्वारा भविष्य में देश के अवसंरचनात्मक विकास को एक उच्च स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी।

मार्च 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए गति शक्ति पोर्टल को अपनाने का आग्रह किया। अवसंरचनात्मक सुविधाओं को किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। भारत में भौगोलिक विविधता के कारण देश के अलग-अलग भागों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास का स्तर भिन्न-भिन्न है।

- सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के अभाव में भारत के आंतरिक भागों में अनेक आर्थिक विषमताएं उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार की विषमताओं को दूर करने तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि देश के विभिन्न भागों में उनकी आवश्यकतानुसार सुदृढ़ अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाए।
- 15 अगस्त, 2021 को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana) को आरंभ करने की घोषणा की थी, जिसे 13 अक्टूबर, 2021 को लांच किया गया। 107 लाख करोड़ की इस योजना को भारत सरकार ने एक समन्वित योजना के रूप में लॉजिस्टिक लागत को कम करने तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आरंभ किया है।
- यह 21वीं सदी के भारत के आर्थिक विकास को गति देने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्मित किया गया एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इस योजना के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने के साथ-साथ कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। इससे बंदरगाहों पर आवागमन के समय को कम करके व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उपर्युक्त संदर्भ में यह आवश्यक है कि देश के अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास में पीएम गति शक्ति योजना की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला जाए।

पीएम गति शक्ति योजना क्या है?

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के स्तर को ऊपर उठाने तथा अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने के लिए आरंभ की गई पीएम गति शक्ति योजना एक प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एकीकृत करके बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन हेतु एक साथ लाया जा रहा है।

- इसकी सहायता से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं जैसे कि असंबद्ध योजना (Disjointed planning), मानकीकरण की कमी (Lack of standardization) तथा परियोजनाओं की मंजूरी में विलंब (Delay in approval of projects) को दूर किया जाएगा।
- साथ ही, निर्माण और बुनियादी ढांचे की क्षमता के समयबद्ध उपयोग को संभव बनाया जाएगा।
- गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline) को समाहित किया जाएगा।
- यह विभिन्न विभागों के मध्य अंतर-क्षेत्रीय समन्वय (Cross-Sectoral Interactions) को बढ़ावा देगा जिससे वे आपसी सहयोग द्वारा अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य, एक साथ कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के कार्यों में होने वाले अतिव्यापन (Overlapping) को रोकना है।
- इसका उद्देश्य, विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्यों द्वारा निर्मित की जाने वाली बुनियादी ढांचा योजनाओं को एकीकृत करके रसद लागत (Logistics costs) एवं कार्यान्वयन ओवरलैप (Implementation overlaps) को कम करने के साथ अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- इस योजना के अंतर्गत, वास्तविक समय में परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक परियोजना निगरानी समूह (project monitoring group) का गठन किया जाएगा। निगरानी समूह द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की रिपोर्ट मंत्रालयों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो अंतिम रूप से इन मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे।
- पीएम गति शक्ति योजना के तहत विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली ढांचागत परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।

in फोकस

- भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण : आवश्यकता एवं चुनौतियां
- एलजीबीटीआईक्यू+ समुदाय के अधिकार : कानूनी स्थिति एवं चुनौतियां
- मुद्रास्फीति में वृद्धि : कारण, प्रभाव तथा नीतिगत उपाय
- चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल : शीत युद्ध के पुनरागमन की आहट
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था : संबंधित मुद्दे एवं लाभ
- हरित खाद : मृदा उर्वरता एवं फसल उत्पादन में सुधार हेतु एक दृष्टिकोण

भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण
आवश्यकता एवं चुनौतियां

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में बताया कि जल्द ही सेना के पश्चिमी तथा उत्तरी मोर्चे के दो अलग-अलग युद्धक समूहों को दक्ष 'एकीकृत युद्ध समूहों' [Integrated Battle Groups (IBGs)] में परिवर्तित किया जाएगा।

- शुरुआत में एकीकृत युद्ध समूहों का संचालन पाकिस्तान और चीन जैसी दो सबसे सक्रिय सीमाओं के साथ परीक्षण के तौर पर किया जाएगा तथा बाद में इसे सेना की अन्य युद्धक संरचनाओं में लागू किया जा सकता है। आईबीजी, तुलनात्मक रूप से छोटे फॉर्मेशन होंगे, लेकिन अपने कार्यों को तेजी से अंजाम देने में सक्षम होंगे।
- मौजूदा सैन्य संरचनाओं को एकीकृत युद्ध समूहों में पुनर्गठित करने का उद्देश्य ऐसे बलों का निर्माण करना है, जो दक्ष, मुस्तैद एवं फुर्तीले हों साथ ही आधुनिक युद्धों की आवश्यकताओं के भी अनुरूप हों। यह भारतीय रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- ऐसा माना जाता है कि 21वीं सदी में युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि स्पेस वॉर और साइबर वारफेयर के रूप में भी हो सकते हैं, जिसमें दुश्मन देश युद्ध की शुरुआत में ही विद्युत ग्रिड को ठप करके तथा उपग्रहों को नष्ट करके सम्पूर्ण संचार प्रणाली को ही नष्ट कर सकते हैं। ऐसे में वर्तमान समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

रक्षा बलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्यों?

- **एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध की संभावना:** चीन और पाकिस्तान दोनों के ही भारत के साथ सीमा विवाद हैं, जो उन्हें स्वाभाविक रणनीतिक सहयोगी बनाता है। चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग के आसार को देखते हुए भविष्य में भारत को दोनों मोर्चों पर युद्ध का सामना भी करना पड़ सकता है। दोतरफा युद्ध की संभावना दोनों मोर्चों पर एक ही समय में भारी संसाधन जुटाने की मांग करती है।
- **सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना:** वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति में, भारत के लिए अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया है। भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपनी उपस्थिति और संप्रभुता का दावा करने की आवश्यकता है और इसके लिए इसे रक्षा उत्पादों का आधुनिकीकरण करने तथा इस तरह के रक्षा उत्पादों पर सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) बनाए रखने की आवश्यकता है। रूस के साथ एस-400 डील इसका उदाहरण है।
- **क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित करना:** एक मजबूत और बेहतर रूप से सुसज्जित सेना किसी देश को बाह्य आक्रमण को विफल करने तथा किसी भी प्रकार की आंतरिक अशांति से निपटने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है। भारत को अपनी क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के तकनीकी रूप से उन्नत रक्षा उपकरणों से लैस एक मजबूत सैन्य बल बनाने की जरूरत है।
- **एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करना:** किसी भी प्रकार के सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए देश को एक मजबूत और आधुनिक रक्षा व सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता होती है। एक मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाने के लिए भारत को अपनी निगरानी प्रणाली (surveillance system) को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें आधुनिक रडार और ड्रोन आदि को शामिल करना जरूरी है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों और अनधिकार प्रवेश का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।
- **आयात में कमी लाना:** भारत पिछले कई वर्षों से लगातार शीर्ष 5 हथियार आयातक देशों में शुमार रहा है। भारत को स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हथियारों के लिए बाह्य निर्भरता संकट के समय में किसी देश की कमजोरी बन सकती है।
- **संघर्षों की बदलती प्रकृति:** अब पारंपरिक युद्ध की संभावना नहीं है। बदलती परिस्थितियों में क्षेत्रीय खतरे, पर्यावरणीय खतरे, प्राकृतिक आपदा, प्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी, कट्टरता, आतंकवाद, समुद्री डकैती तथा साइबर, परमाणु एवं ऊर्जा सुरक्षा जैसे विभिन्न प्रकार के खतरे सैन्य संगठन की आवश्यकता को तय करते हैं। इन खतरों का मुकाबला करने के लिए सैन्य बलों का आधुनिकीकरण जरूरी है।
- **वैश्विक आकांक्षाएं:** भारत एक जिम्मेदार क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनना चाहता है, लेकिन आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता आदि के संबंध में अन्य राष्ट्रों का समर्थन करने की क्षमता की कमी के कारण यह महत्वाकांक्षा बाधित है। ऐसे में भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (Net Security Provider) के रूप में कार्य करने के लिए भी अपने बलों का आधुनिकीकरण करना चाहिए।

एलजीबीटीआईक्यू+ समुदाय के अधिकार

कानूनी स्थिति एवं चुनौतियां

मई 2022 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 'इन्क्लूजन ऑफ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स एंड क्वीर (LGBTIQ+) पर्सन्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क' (Inclusion of lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer (LGBTIQ+) persons in the world of work) नामक एक रिपोर्ट जारी की।

- रिपोर्ट में ILO ने कहा कि दुनिया भर में LGBTIQ+ व्यक्तियों को यौन अभिमुखता, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं के आधार पर उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में उपर्युक्त समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए अनेक सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं।

- इस संदर्भ में LGBTIQ+ समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों तथा भारत में इनकी कानूनी स्थिति का विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

रिपोर्ट में सदस्य देशों, नियोक्ता संगठनों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की गई है। ताकि समाज में LGBTIQ+ व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

- ILO दस्तावेज में कहा गया है कि इस समुदाय के खिलाफ भेदभाव, न केवल LGBTIQ+ व्यक्तियों और उनके परिवारों को सहन करना पड़ता है, बल्कि उद्यमों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी इस भेदभाव की एक आर्थिक लागत (Economic Cost) है।
- दस्तावेज के अनुसार, एक राष्ट्रीय नीति एवं श्रम कानूनों की समीक्षा से सरकारों को LGBTIQ+ व्यक्तियों के लिए देश के अंदर कार्य माहौल का आकलन करने में सहायता मिलेगी। इससे कानूनी एवं नीतिगत वातावरण (Policy Environment) में सुधार होगा। साथ ही यह भेदभाव एवं बहिष्करण को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों (International Rules) के अनुपालन को भी सुनिश्चित करेगा।
- ILO ने कहा है कि LGBTIQ+ व्यक्तियों के साथ परामर्श और नियोक्ताओं एवं श्रमिक संगठनों के साथ सामाजिक संवाद स्थापित करने से इस समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान की जा सकेगी। इससे उन्हें श्रम बाजार में प्रवेश करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।
- ILO के अनुसार LGBTIQ+ व्यक्तियों को कार्य स्थलों में शामिल करने से आने वाली व्यावसायिक विविधता (Business Diversity) से रचनात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इससे आर्थिक विकास को सही दिशा मिल सकेगी।

भारत में एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों के अधिकारों की स्थिति

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर (Transgender) समुदाय को थर्ड-जेंडर (Third Gender) के रूप में मान्यता देना, सामाजिक अथवा चिकित्सा संबंधी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक मानवाधिकार का मुद्दा है।

- इसी प्रकार, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इनमें वे प्रावधान शामिल थे जिन्हें LGBTIQ समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 14 LGBTIQ+ समुदाय को कानून के समक्ष समानता की गारंटी प्रदान करता है।
- शफीन जहान बनाम अशोकन के.एम. और अन्य (2018) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एक साथी की पसंद एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इस आधार पर सम-लैंगिक विवाह (Same Sex Marraiges) को मान्यता दी जानी चाहिए। किंतु, फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा कि भारत में एक विवाह को तभी मान्यता प्रदान की जा सकती है जब वह विवाह 'जैविक पुरुष' और 'जैविक महिला' के मध्य हो।
- संसद द्वारा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया है।

LGBTIQ+ व्यक्तियों के समक्ष चुनौतियां

यौन अभिमुखता (Sexual Orientation) और लैंगिक पहचान (Gender Identity) की समस्या पारिवारिक कलह की ओर ले जाती है।

- माता-पिता तथा उनके LGBTIQ+ बच्चों के मध्य वार्तालाप एवं संचार के कम होने से गलतफहमियों का प्रसार होता है, जिससे पारिवारिक संघर्ष (Family Conflict) में वृद्धि होती है।
- अनेक सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के साथ-साथ LGBTIQ+ व्यक्तियों को कार्यस्थलों पर व्यापक पैमाने पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- समलैंगिकता के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के कारण LGBTIQ+ व्यक्तियों के उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाइयां आती हैं।

मेथनॉल अर्थव्यवस्था
संबंधित मुद्दे एवं लाभ

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के तिनसुकिया जिले में 15 प्रतिशत मेथनॉल के मिश्रण वाले पेट्रोल 'M15' को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली 30 अप्रैल, 2022 को 'एम15' पेट्रोल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। M15 पेट्रोल, पेट्रोल के साथ 15 प्रतिशत मेथनॉल का मिश्रण है।

- वर्तमान में भारत सरकार 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' (methanol economy) को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मेथनॉल को बढ़ावा देने से देश के पेट्रोलियम आयात को कम करने में सहायता मिलेगी जो अंततः भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेथनॉल का उत्पादन पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक दोनों स्रोतों से किया जा सकता है।
- भारत में मेथनॉल का उत्पादन और उपयोग प्रारंभिक चरण में है, हालांकि देश की ऊर्जा आवश्यकता को देखते हुए मेथनॉल के व्यापक अनुप्रयोगों तथा विकास की व्यापक संभावनाएं है। डाई-मिथाइल ईथर (डीएमई) मेथनॉल का एक उत्पाद है जिसके एलपीजी में 20 प्रतिशत सम्मिश्रण से प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रु. की बचत हो सकती है।
- निकट भविष्य में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारत द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की आशा है। वर्ष 2040 तक कुल वैश्विक ऊर्जा मांग में 25 प्रतिशत की वृद्धि भारत के कारण होगी। भारत में ऊर्जा मांग 2040 तक 3.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate-CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है।
- हालांकि, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता 2005-06 में क्रमशः 73 प्रतिशत और 17 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में क्रमशः 81 प्रतिशत और 40 प्रतिशत हो गई है।

मेथनॉल प्रयोग को बढ़ावा देने की पहल

- नीति आयोग द्वारा देश में मेथनॉल उपयोग को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग द्वारा पेट्रोल में 15 प्रतिशत मेथनॉल के सम्मिश्रण पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया है।
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने कोयले से मेथनॉल उत्पादन के लिए हैदराबाद में संयंत्र लगाया है। इसकी प्रतिदिन मेथनॉल उत्पादन क्षमता 0.25 मीट्रिक टन है।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) द्वारा दो और चार पहिया वाहनों में मेथनॉल समिश्रित ईंधन के साथ उत्सर्जन परीक्षण मूल्यांकन किए गए हैं।
- खाना पकाने के ईंधन के रूप में मेथनॉल का उपयोग करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो ने घरेलू मेथनॉल कुकस्टोव के संबंध में एक प्रारंभिक मसौदा तैयार किया है।

भारत में मेथनॉल उत्पादन की स्थिति

भारत में मेथनॉल के मुख्य उत्पादक 'गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड', 'दीपक फर्टिलाइजर्स', 'राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स', 'असम पेट्रोकेमिकल्स' और 'नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' हैं।

- भारत में मेथनॉल की अत्यधिक मांग है तथा पिछले 5 वर्षों में मेथनॉल की खपत 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है। देश के मेथनॉल की मांग का 90 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत मुख्यतः खाड़ी देशों से जहां प्राकृतिक गैस बहुत कम कीमतों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, मेथनॉल का आयात करता है। घरेलू स्तर पर प्राकृतिक गैस से उत्पादित मेथनॉल, आयातित मेथनॉल के साथ मूल्य के स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं है।
- कोयले से प्राप्त मेथनॉल भारत के लिए आर्थिक रूप से सबसे व्यवहार्य विकल्प है। भारत में अपेक्षाकृत सस्ती कीमत पर कोयले का भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- यदि भारत प्रतिस्पर्धी मूल्य पर कोयले से घरेलू स्तर पर मेथनॉल का उत्पादन करता है, तो मेथनॉल का रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आसानी से उपभोग किया जा सकता है।

मेथनॉल अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे

- **मेथनॉल का पारंपरिक रूप से उत्पादनः** पारंपरिक रूप से मेथनॉल का उत्पादन पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस और कोयला का प्रयोग कर किया जाता है। मेथनॉल का गैर-परंपरागत रूप से उत्पादन पर्यावरण संक्षरण को बढ़ावा दे सकता है, परन्तु कोयला को मेथनॉल में परिवर्तित करने के नगण्य पर्यावरणीय लाभ होंगे।
- **मेथनॉल आयात पर निर्भरताः** वर्तमान में देश के अधिकांश मेथनॉल मांग की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। इस तरह वर्तमान में मेथनॉल के प्रयोग को बढ़ावा देना देश के आयात बिल को बढ़ाएगा। अतः सर्वप्रथम देश में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **संसाधन आवश्यकताः** देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेथनॉल को प्राथमिक ईंधन विकल्प बनाने एवं देश की अर्थव्यवस्था को 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' में बदलने के लिए वृहद मात्रा में संसाधन की आवश्यकता होगी। मेथनॉल को ऊर्जा के सबसे प्रमुख संसाधन में बदलने के लिए शोध एवं विकास

मुख्य परीक्षा विशेष-1

सामान्य अध्ययन के 90 महत्वपूर्ण विषय

समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्रों का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयोग द्वारा पूछे जाने वाले ज्यादातर प्रश्न विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक उत्तर की मांग करते हैं। अत: मुख्य परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है कि इन प्रश्नों का उत्तर उनकी मांग के अनुरूप ही दिया जाए। मुद्दे-आधारित, ओपन-एंडेड और अंतर-विषयक प्रकृति के इन प्रश्नों की मांग के अनुरूप ही हमने यह अध्ययन सामग्री विकसित की है। हमने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की मांग के अनुरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स का चयन किया है, जो सामान्य तौर पर एक जगह एक पुस्तके में नहीं मिलते हैं। इसे विकसित करते समय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न को ध्यान में रखा गया है।

1. ग्रामीण महिलाएं : आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्व 111
2. क्षेत्रवाद की चुनौती : सांस्कृतिक मुखरता और असमान क्षेत्रीय विकास 111
3. कृषि का नारीकरण (Feminization of Agriculture) ... 112
4. पारंपरिक ज्ञान प्रणाली 113
5. घटती प्रजनन दर एवं महिला रोजगार 113
6. वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभाव 114
7. वि-वैश्वीकरण एवं इसका भारत पर प्रभाव 114
8. संस्कृतीकरण, पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण 116
9. असहयोग आंदोलन 116
10. स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता 117
11. हड़प्पा काल में कला का विकास 118
12. फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भागीदारी 118
13. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत 118
14. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 119
15. चक्रवातों की बढ़ती आवृति एवं तटीय क्षेत्र 119
16. महासागरीय तल की उच्चावचीय संरचना 120
17. संसाधन के रूप में डेल्टा 120
18. सिविल सेवा में सुधार 121
19. विधि का शासन एवं लोकतंत्र 121
20. ई-गवर्नेंस में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी 122
21. एक राष्ट्र, एक चुनाव 123
22. संसदीय समितियां 124

23. दलबदल कानून एवं आंतरिक दलीय लोकतंत्र..... 125
24. आवश्यक धार्मिक प्रथाएं और संबंधित मुद्दे..... 125
25. आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार..... 126
26. निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे..... 127
27. ग्राम पंचायत एवं विकेंद्रीकरण..... 127
28. एनजीओ का विनियमन..... 127
29. भारत में नागरिक समाज संगठनों की बदलती भूमिका.. 128
30. महिला सशक्तीकरण और लैंगिक न्याय..... 129
31. भारत में बाल विवाह 130
32. भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश तथा इसका दोहन.... 130
33. सूक्ष्म वित्त संस्थान 131
34. बहुआयामी गरीबी..... 132
35. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की चुनौतियां एवं नीति ... 133
36. भारत में उपशामक देखभाल और बुजुर्ग लोग 134
37. महिलाओं की विवाह की आयु एवं लैंगिक समानता. 134
38. वृद्धजनों की बढ़ती संख्या..... 135
39. डिजिटल विश्वविद्यालय..... 135
40. चक्रीय अर्थव्यवस्था..... 135
41. कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव..... 136
42. भारत में फिनटेक क्षेत्र..... 137
43. भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र : चुनौती एवं समाधान.... 137
44. विनिवेश तथा रणनीतिक बिक्री..... 138
45. वैश्विक औषधीय क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका... 138
46. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन..... 139
47. जल सुरक्षा की आवश्यकता..... 140
48. रिवर इंटरलिंकिंग : मुद्दे एवं लाभ..... 140
49. इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इसका अनुप्रयोग..... 141
50. डिजिटलीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव..... 141
51. चतुर्थ औद्योगिक क्रांति 4.0..... 142
52. प्रौद्योगिकी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव..... 143
53. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स : संबद्ध नैतिक मुद्दे. 144
54. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था..... 144
55. संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच गठजोड़.... 145
56. साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां एवं उपाय..... 146
57. रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण..... 147
58. UAPA की संवैधानिकता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता.... 147
59. आंतरिक सुरक्षा में चुनौती के रूप में सोशल मीडिया 148
60. राष्ट्रीय अखंडता का सुदृढ़ीकरण..... 149
61. आंतरिक सुरक्षा के समक्ष बहुआयामी चुनौतियां..... 149
62. मॉब लिंचिंग..... 150
63. अफस्पा की वैधानिकता..... 150
64. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ..... 151
65. कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी..... 151
66. भारत में कृषि विपणन प्रणाली : चुनातियाँ एवं उपाय.152
67. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग..... 153
68. आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना..... 153
69. आपदा प्रबंधन नीति की आवश्यकता..... 154
70. भारत-बांग्लादेश संबंध..... 154
71. वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तन एवं भारत..... 155
72. प्रवासी भारतीयों का सामाजिक तथा आर्थिक योगदान.. 156
73. रूस-यूक्रेन संघर्ष एवं भारत..... 157
74. भारत-फ्रांस द्विपक्षीय सहयोग..... 157
75. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग..... 157
76. सुरक्षा परिषद एवं भारत..... 158
77. जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा 158
78. भारत की नई आर्कटिक नीति..... 159
79. भारत में जियो-टूरिज्म..... 159
80. अम्लीय वर्षा के प्रभाव..... 160
81. आक्रामक विदेशी प्रजातियां..... 161
82. गांधीवादी नैतिकता एवं इसकी प्रासंगिकता..... 161
83. लोक सेवा में सत्यनिष्ठा की भूमिका..... 161
84. सुशासन में पारदर्शिता का महत्व..... 162
85. लोक सेवा में तटस्थता..... 163
86. अभिवृत्ति एवं व्यक्ति का व्यवहार..... 163
87. सिविल सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका.... 163
88. सैन्य गतिविधियों में कृत्रिम-बुद्धिमत्ता : नैतिक मुद्दे... 164
89. केस स्टडी-1..... 164
90. केस स्टडी-2..... 165